Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी बयान
5 फरवरी 2020
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न और गिरफ्तारियों का नया सिलसिला दुर्भावनापूर्ण बदले की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं को पॉपुलर फ्रंट का कार्यकर्ता बताकर गिरफ्तार करना एक सोची–समझी बदले की कार्यवाही है। दिसंबर 2019 में पहली बार गिरफ्तार किये गए हज़ारों प्रदर्शनकारियों में से केवल 25 लोगों को ही पॉपुलर फ्रंट का कार्यकर्ता बताया गया था। अब पुलिस ने यूपी के विभिन्न जिलों में लोगों को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है।

अधिकारियों का आरोप है कि राज्य में सीएए–विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के पीछे पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। देश भर में कई सप्ताह से जगह–जगह सीएए के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और यह सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्य में ही सरकार और पुलिस ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा का रवैया अपनाया और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया, मुसलमानों को मारा–पीटा और उनकी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उन्होंने इसका इल्जाम भी प्रदर्शनकारियों पर ही डाल दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुलेआम यह कहा था कि प्रदर्शनकारियों से बदला लिया जाएगा और अब पुलिस उनके ऐलान के अनुसार लोगों से बदला ले रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोली से 23 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है।

जहां कहीं पॉपुलर फ्रंट मौजूद है वह सीएए–विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेती रही है। उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कोई प्रदेश कमेटी नहीं है। वहां केवल 8 सदस्यों की एक एड्हॉक (अस्थायी) कमेटी है, जिनमें से तीन सदस्यों, वसीम अहमद (कन्वीनर), नदीम और अशफाक (सदस्य) को पहले राउंड में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इनके साथ 22 और लोगों को पॉपुलर फ्रंट का सदस्य बताकर गिरफ्तार किया गया था। राज्य में पॉपुलर फ्रंट के हजारों समर्थक हैं, लेकिन संगठन के सदस्य बहुत कम हैं। नागरिक समाज समूहों की कई फैक्ट–फाइंडिंग रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें प्रदर्शनों को लेकर हुई हिंसा में पॉपुलर फ्रंट के शामिल होने की कोई बात नहीं पाई गई है। इसी तरह पुलिस भी अदालत में अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे पाई।

देश के कानून का पूरा पालन करने वाला संगठन होने के नाते, पॉपुलर फ्रंट शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज तक उसे किसी भी हिंसा में लिप्त नहीं पाया गया। इसलिए इसके हिंसा में शामिल होने के सबूत मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ पुलिस अब तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाई है, लेकिन इसके बावजूद वे अभी भी ''हिंसा'' में शामिल होने के नाम पर युवाओं को पॉपुलर फ्रंट का कार्यकर्ता बताकर गिरफ्तार कर रहे हैं। मीडिया की हालिया खबरों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में 108 ''पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं'' को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसा लगता है कि धर–पकड़ का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

ऐसा लग रहा है जैसे पॉपुलर फ्रंट की एड्हॉक कमेटी के सदस्य मुफ्ती शहज़ाद द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के अत्याचार और मुसलमानों की गैर–कानूनी गिरफ्तारियों की सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज के द्वारा न्यायिक जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई जनहित याचिका (पीआईएल) के कारण गुस्से में आकर पुलिस ने हालिया गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली विशेष न्यायपीठ ने 27 जनवरी को याचिका पर सुनवाई की और सरकार को अगली तारीख 17 फरवरी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

याचिका और अदालत के सवाल के बावजूद, पुलिस लगातार मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। मर्दों को गिरफ्तार करने के साथ–साथ पुलिस मुस्लिम महिलाओं और बुजुर्गों के साथ भी मार–पीट कर रही है और उन्हें धमका रही है। मुफ्ती शहज़ाद के परिवार और शामली, कैराना, मेरठ आदि में पुलिस के अत्याचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अन्य पीड़ितों को भी पुलिस द्वारा धमकाया और मारा–पीटा गया है।

पॉपुलर फ्रंट हाई कोर्ट और निचली अदालतों में शुरू की गई कानूनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। संगठन अदालत में यूपी पुलिस के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और पुलिस की ज़्यादतियों और मनमानी गिरफ्तारी के शिकार लोगों को कानूनी सहायता देता रहेगा।

पॉपुलर फ्रंट योगी सरकार की अमानवीय और कायरतापूर्ण हरकतों और पुसिल द्वारा संगठन पर झूठे आरोप लगाए जाने और हालिया गिरफ्तारियों की कड़े शब्दों में निंदा करता है, और सभी नागरिकों और समूहों से अपील करता है कि वे आगे बढ़कर योगी के जंगल राज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पदाधिकारीः

1. ए. एस. इस्माइल
(नॉर्थ जोन प्रेसीडेंट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया)
2. अनीस अंसारी
(नॉर्थ जोन सेक्रेट्री, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया)
3. वसीम अहमद
(कंवीनर एड हॉक कमेटी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश)
4. मोहम्मद अशफाक
(मेम्बर एड हॉक कमेटी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश)
5. मोहम्मद नदीम
(मेम्बर एड हॉक कमेटी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश)